कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE
एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किदवई नगर, नईदिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या एच.आर.एम.-I/ए-11(1)/2025/ए.सी.सी./ए.सी.सी.(मुख्यालय)/786 दिनांक: 03 अक्टूबर 2025

कार्यालय आदेश

विषय: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त-मुख्यालय के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति के संबंध में।

13.06.2025 को हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा पर, अपर केंद्रीय भविष्य निधि-मुख्यालय के पद पर पदोन्नति के लिए, माननीय अध्यक्ष, सीबीटी, ईपीएफ, पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में अपर केंद्रीय भविष्य निधि-मुख्यालय के पद पर श्रीमती शाहिरा के. संगमा, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति को अनुमोदन करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी की तैनाती आंचलिक कार्यालय, दिल्ली एवं उत्तराखंड में होगी। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. पदोन्नति, सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, तदर्थ आधार पर तब तक की जाएगी जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों का निपटारा नहीं हो जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी, जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिदेशों का पालन किया जाएगा:

"ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति की जाती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।"

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे अधिकारी को न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का अधिकार मिलेगा, न ही वरिष्ठता का।

6. श्रीमती शाहिरा के. संगमा, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की तदर्थ आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, मानव संसाधन प्रबंधन, मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से rc1.hrm@epfindia.gov.in पर भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एचआरएम-I)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

i. माननीय अध्यक्ष, कें.न्या.बो. क.भ.नि. के निजी सचिव।
ii. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
iv. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
v. सभी, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
vi. सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.), मुख्यालय/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी)।
vii. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
viii. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
ix. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी संघ, लुधियाना।
x. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
xi. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फ़ाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एचआरएम-I)